न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 29 / 2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. बदा पिता हड़िया, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. मानसिंह पिता हड़िया, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. परथिंग पिता मानीया, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. हवसिंह पिता हुरतींग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. रूपचन्द पिता हुरतींग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. वलसिंह पिता हुरतींग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मृतक जोखा पिता गजेंग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. लालजी पिता गजेंग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूरजी पिता गजेंग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3 / 1. मृतक कलसिंग पुत्र भूरजी भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.) के विधिक वारिसान :–

3/1/1. श्रीमती सेवल पत्नी कलसिंग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/1/2. श्रीमती थावरी पत्नी कलसिंग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/1/3. सदु पुत्र पत्नी कलसिंग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/1/4. कालु पुत्र कलसिंग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/1/5. कमलेश पुत्र कलसिंग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/2. दीपा पिता भूरजी भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/3. रूपा पिता पुत्र भूरजी भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/4. श्रीमती सेवली पत्नी पुत्र भूरजी भील, निवासी गांव राती महुड़ी व कोठारिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. नरसेंग पिता हड़िया, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. दलसेंग पिता हड़िया, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. वरसेंग पिता हड़िया, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. वालसिंह पिता हड़िया, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8. मृतक हुरपाल पिता मानीया, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.) के वारिसान :–

8/1. देवीलाल पिता हुरपाल, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8/2. श्रीमती राधा पत्नी हुरपाल, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

9. दिलीप पिता बदा, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

10. बाबु पिता मानसेंग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

11. कडसिया पिता नरसिंहग, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

12. राजेश पिता बदा, जाति भील, निवासी गांव राती महुड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व

डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़

दिनांक 27.06.2016, प्र.सं. 39/2010

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री संजय त्रिवेदी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 11–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राती महुडी में आराजी नंबर 194 व 175 किता 2 रकबा 3.47 एकड़ एवं आराजी नंबर 220, 209, 222/2 व 288 किता 4 रकबा 4.38 एकड़ भूमि स्थित हैं, जो वादीगण के शामलाती कब्जे काश्त की होकर वादीगण काबिज हैं। वादीगण की भूमि राती महुडी व कोठरिया दोनों गावों में होकर वादीगण के परिवार के सदस्य दोनों गावों में शामलाती काश्त करते हैं, किन्तु पिछले कुछ दिनों से प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं एवं 15 दिन पूर्व सर्वे नंबर 175 की पूर्व दिशा की तरब जबरन कब्जा कर लिया है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा सर्वे नंबर 175 पर जो जबरन कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा कर लिया गया है, उसे वादीगण को वापस दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष आपत्ति एवं अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजियात पर प्रतिवादीगण का 12 वर्षो से अधिक से कब्जा चला रहा है, जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर प्रतिवादीगण में निहित हो चुके हैं। वादीगण का कब्जा नहीं होने से वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 27–06–2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17–08–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री संजय त्रिवेदी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत था, किन्तु उनकी बिना साक्ष्य लिये प्रकरण राजस्व न्यायालय में रखकर अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय कर डिक्री जारी कर दी गयी है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण वादी की शहादत हेतु दिनांक 17–05–2016 को रखा गया, किन्तु बिना शहादत का अवसर दिये दिनांक 17–05–2016 के स्थान पर प्रकरण सीधे ही दिनांक 27–06–2016 को राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27–06–2016 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट आया कि वादी संख्या 1 व 3 फोत हो चुके थे, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2006 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में मृत पक्षकारों के वारिसानों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11–02–2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **कुशलगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....22**.....माह.....**07**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**.10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.22**.....माह.....**.10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.03 12:25:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: